प्रपत्र संख्या 1.5

बरसात में पहाड़ी नदी से जो बजरी, बोल्डर, रेता आदि उपखनिज बह कर आता है वह नदी की तलहटी में जमा हो जाता है जिसकी निकासी न होने के कारण नदी की धारा का रूख परिवर्तित हो जाता है तथा आस पास स्थित आबादी को खतरा उत्पन्न होने की आशंका होती है यदि इन क्षेत्र में उपखनिज की निकासी नहीं की जाती है तो क्षेत्र के तलहटी में निरन्तर उपखनिज जमा हो जाने के कारण नदी की धारा का रूख बदलने और नदी के किनारे में स्थित आबादी के क्षेत्रों को बाढ़ से प्रभावित होने के आशंका रहेगी। अतः नदी के किनारे के भू–क्षरण एवं जल प्रवाह को नियंत्रित रखने की दिशा में नदी के तलहटी में जमा उपखनिज की निकासी किया जाना प्राविधिक दृष्टि से नितान्त आवश्यक है।

उपखनिज प्राकृतिक कारणों से नदी की तलहटी में एकत्रित होता है जो कि वन भूमि में है। अतः इस कार्य के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर चुगान कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर (नैनीताल)।

Scanned with CamScanner